

## बैठक जिला स्वास्थ्य समिति, बाराबंकी

स्थान:- डी०आर०डी०ए० गॉंधी सभागार कलेक्ट्रेट बाराबंकी

### कार्यवृत्ति

दिनांक : 13 जनवरी, 2016

अध्यक्षता-

श्री अजय यादव, जिलाधिकारी बाराबंकी।

जिला स्वास्थ्य समिति की शासकीय निकाय की बैठक में निम्नलिखित अधिकारी/पदाधिकारी मौजूद थे।

1. श्री ऋषिरेन्द्र कुमार, मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी।
2. डा० रवीन्द्र कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बाराबंकी।
3. डा० एस०के० सिंह, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला पुरुष चिकित्सालय, बाराबंकी।
4. डा० रविचन्द्रन, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला महिला चिकित्सालय, बाराबंकी।
5. श्री दीपक सिंह, वरिष्ठ कोषाधिकारी, बाराबंकी।
6. डा० डी०डी०पाल जिला कुष्ठ रोग अधिकारी, बाराबंकी।
7. डा० राजीव सक्सेना, जिला क्षय रोग एवं अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बाराबंकी।
8. डा० एस० चन्द्रा, जिला अन्धता निवारण अधिकारी बाराबंकी।
9. डा० आई०पी० वर्मा, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, प्रशासन, बाराबंकी।
10. डा० इरफान वजीह अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आर०सी०एच०, बाराबंकी।
11. डा० जेता सिंह अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (भण्डार) बाराबंकी।
12. डा० एस० सी० धूसिया अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, परिवार कल्याण, बाराबंकी।
13. डा० राजा राम अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, वेक्टरबार्न, बाराबंकी।
14. डा० के०एन०एम० त्रिपाठी, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (प्रतिरक्षण), बाराबंकी।
15. जिला कार्यक्रम अधिकारी, आई०सी०डी०एस०, बाराबंकी।
16. जिला सूचना अधिकारी, बाराबंकी।
17. डा० राजीव सिंह, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी, बाराबंकी।
18. समस्त उप मुख्य चिकित्साधिकारी, बाराबंकी।
19. श्री अम्बरीश द्विवेदी, जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन०एच०एम० बाराबंकी।
20. श्री सुरेन्द्र कुमार जिला कम्प्यूनिटी प्रोसेस मैनेजर, डी०पी०एम०यू० बाराबंकी।
21. समस्त अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी सामु०/प्रा०स्वा०केन्द्र बाराबंकी।
22. डा० गिरीश, जिला टेक्निकल सर्पोट यूनिट, आई-हैट, बाराबंकी।

बैठक का शुभारम्भ करते हुए डा० रवीन्द्र कुमार, सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बाराबंकी द्वारा नये जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में प्रथम एवं वित्तीय वर्ष 2015-16 की आठवीं जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में सभी का स्वागत किया गया एवं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से पूर्व निर्धारित एजेण्डा के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा डा० इरफान वजीह, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आर०सी०एच० को जिला स्वास्थ्य समिति के शासकीय निकाय के बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु आमंत्रित किया गया। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आर०सी०एच० द्वारा अनुमोदन हेतु बिन्दुवार प्रस्ताव निम्नवत् प्रस्तुत किया गया :-

1. दिनांक 29 दिसम्बर, 2015 को सम्पन्न बैठक की अनुपालन आख्या।

निर्णय:- बैठक में अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा जनपद में प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स एवं प्राइवेट नर्सिंग होम के संचालको द्वारा प्राइवेट संस्थागत प्रसव की अपूर्ण सूचना प्रेषित किये जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि जन्म प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु एम०सी०टी०एस० फ्रीडिंग द्वारा प्राप्त की गयी आई-डी. जन्म प्रमाण पत्र पर अंकित करना अनिवार्य कर दिया जाये, ऐसा करने से जो जन्म प्रमाण पत्र प्राइवेट नर्सिंग होम संचालकों द्वारा निर्गत किये जा रहे है वह आवश्यक रूप से ग्रामीण स्तर पर ब्लाक सी०एच०सी० (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) पर एम०सी०टी०एस० आई.डी. प्राप्त करने हेतु प्राप्त होने लगेगे तथा सम्बन्धित अधीक्षक का यह दायित्व होगा कि वह एक रजिस्टर

